

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविर-मा / माध्य / अ-4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2022-23 / 59-1

दिनांक : 26.07.2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक
अजमेर / दौसा।

विषय : 08 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में

प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6)शिक्षा-1 / ब.घो.सं. 11 / 2022-23 / 2022 जयपुर,
दिनांक 20.07.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 28(3) की अनुपालना में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित संलग्न सूची अनुसार 08 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित (व्यय-1) विभाग की आईडी संख्या 102204138 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्त :-

- विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
- स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 साथ एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा-11वीं एवं 12वीं प्रारम्भ की जा सकेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्थान, अजमेर से मान्यता देतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-गा को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6 डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजित क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भाँति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।

10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ॲपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबाड़, एम.पी. एल.ए.डी., एम.ए.ल.ए.एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल का नियमित विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज्यपाल, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (प्रम-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्रों के क्रम में।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जयपुर सभाग।
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान अजमेर/दौसा।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एवी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग 3-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय बोर्ड पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 28(3) के क्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित उच्चतम स्तर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजमावि स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का यूडाइस कोड	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित उच्चतम स्तर के राजकीय विद्यालय का नाम
1	2	3	7	8	9
1	AJMER	सरवाड	भटोलाव	8211601002	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHATOLAV (482631)
2	AJMER	केकड़ी	निमोद	8210805001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NIMOD (487583)
3	AJMER	केकड़ी	भाणडावास	8210804301	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHANDAWAS (444584)
4	DAUSA	लालसोट	जगनेर तुर्कान	8110315801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JAGNER TURKAN (405826)
5	DAUSA	लालसोट	कुशलपुरा	8110303801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUSHALPURA (406117)
6	DAUSA	लालसोट	लालपुरा	8110311601	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LADPUR (467169)
7	DAUSA	लालसोट	लाखनपुर	8110307501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LAKHANPUR (467383)
8	DAUSA	लालसोट	गोपालपुरा	8110309601	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GOPALPURA (463664)

सत्यमेव जयते


 उपनिदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर